संख्या-7/2025/265/001-23-6099-108-2025

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 01 अगस्त, 2025**

विषयः-**वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु धनराशि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग), उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-I/142851/2025, दिनांक 11.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यों हेतु रू0 175.00 करोड़ की धनराशि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-57 राजस्व मद के अंतर्गत नावों के पुल और नौघाट के अनुरक्षण हेतु रू0 45.00 करोड़ एवं पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु रू0 130.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 175.00 करोड़ (रूपये एक अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) को निम्न विवरणानुसार/निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड	बजट प्राविधान	अनुरक्षण कार्यों हेतु वर्ष 2025-26 में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा.....		
1-	3054-सड़क तथा सेतु	45.00	45.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 03-नावों के पुल और नौघाट 29- अनुरक्षण		
2-	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 04-पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत 29- अनुरक्षण	130.00	130.00
	योगः- (राजस्व लेखा मद)	**175.00**	**175.00**

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025-बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनॉक 27 मार्च 2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

> '' धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।''

(4) निवर्तन मद के अंतर्गत बजट व्यवस्था के अनुसार रू0 40.00 लाख से कम लागत के कार्यों की स्वीकृति से पूर्व संबंधित कार्यों की कार्ययोजना पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) उक्तानुसर निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 45,00,00,000 (रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 3054048000300 नावों के पुल और नौघाट **मानक मद** 29 अनुरक्षण (2) रुपये 1,30,00,00,000 (रुपये एक अरब तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 3054048000400 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-7/2025/265(1)/001-23-6099-108-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
6- नियोजन अनुभाग-4 ।
7- लोक निर्माण अनुभाग-6 ।
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।